न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/37/2013	2013/00020	30.10.2013	10.06.2024

1. कानसिंह पुत्र स्व0 श्री धनसिंह, आयु करीब 67 साल जाति राजपूत, निवासी ग्राम मोरोड कंला, तहसील राजगढ, जिला अलवर

——अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार राजगढ़, तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0।

—असल रेस्पो0

2. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बांरा भडकोल जिला अलवर राज0।

—तरतीबी रेस्पा0

राजस्व अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ दिनांक 08.05.2012 इंतकाल सं0 628 वाके ग्राम मोरोड कंला, तहसील राजगढ़, जिला अलवर।

उपस्थितः—

01. श्री अजीत यादव — वकील अपीलाण्ट
02. राजकीय अभिभाषक — वकील रेस्पोडेन्ट 01

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ दिनांक 08.05.2012 इंतकाल सं0 628 वाके ग्राम मोरोड कंला, तहसील राजगढ़, जिला अलवर से व्यथित होकर पेश की है जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं कि मिन अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 18.10.2013 को जानकारी हुई। जिससे प्रस्तुत अपील अंदर मियाद अदालत श्रीमान में पेश की जा रही है, रफयहुज्जत के लिए प्रार्थना पत्र दफा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र अलग से अपील के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। तहत अदालत ने अपीलाधीन आज्ञा पारित करने से पूर्व मिन अपीलान्ट अभिलिखित काबिज काश्तकार खातेदार कोना ता कोई नोटिस जारी किया और ना ही सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिया गया और बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलाधीन आज्ञा विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरीत

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

निष्कर्ष निकालते हुए पीडित पक्षकार को बिना सुने पारित की गयी है जो निरस्तनीय है और काबिल गौर अदालत श्रीमान है।

मिन अपीलान्ट आराजी खसरा न0 विवादित हाल 118 रकबा 0.05 ऐयर गैर मुमकिन आबादी व खसरा न0 120 रकबा 0.85 ऐयर चाही दोयम वाके ग्राम मोरोड कंला तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान में 1/3 भाग का अभिलिखित खातेदार काविज काश्तकार है और अपने हिस्से की आराजी पर आज तक बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। मिन अपीलान्ट ने अपनी उक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी को तरतीबी रैस्पो0 सख्या 02 बैंक में रहन रखकर स्वयं वो अपनी पत्नी के नाम से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया हुआ है और राजस्व रिकॉर्ड में तरतीबी रैस्पों0 बैंक में रहन होने का अंकन होता चला आ रहा है। उक्त ऋण अपीलान्ट को दिनांक 13.08.2010 को स्वीकृत किया गया है। मिन अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी आज भी बैंक तरतीबी रैस्पो0 संख्या 02 के यहां बिला कब्जा रहन रखी हुई है और मिन अपीलान्ट की ओर उक्त ऋण खाता 68000/—रूपये की राशि बकाया चल रही है। तरतीबी रेस्पो0 संख्या 02 बैंक ने अपीलान्ट को बिना ऋण चुकाए आज दिन तक कोई नोड्यूज प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। उक्त आराजीयात तरतीबी रेस्पो0 संख्या 02 बैंक के यहां रहन है। लेकिन मिन अपीलान्ट के भाई छगन सिंह के पुत्र भैरूसिंह ने उक्त आराजीयात की बाबत् पटवारी हल्का आदि से साजिश करके दिनांक 02.04.2012 का एक फर्जी नुमायशी नोड्यूज प्रमाण पत्र बनवा लिया और उसके आधार पर तहसीलदार राजगए जिला अलवर राजस्थान से दिनांक 13.04.2012 को ही इंतकाल भरकर उस पर दिनांक 16.04.2012 को भू अभिलेख निरीक्षक से जांच रिपोर्ट कराकर तहत अदालत से दिनांक 08.05.2012 को तस्दीक कराया गया है। जबकि बैंक तरतीबी रैस्पो0 कोई नोड्यूज प्रमाण पत्र जारी नही किया है जिस बाल की पुष्टि तरतीबी रेस्पो0 संख्या 02 बैंक द्वारा उप पंजियक रैणी जिला अलवर राजस्थान का प्रेषित की गयी रिपोर्ट से होती है जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है।

उपरोक्त समस्त कार्यवाही पटवारी हल्का व सर्किल कानूनगो व भैरूसिंह ने आपस में साजिश करके की है और तहत अदालत को मुगालते में रखकर फर्जी नुमायशी नोड्यूज प्रमाण पत्र के आधार पर तहत अदालत से अपीलाधीन इंतकाल आनन फानन में तस्दीक कराया गया है जबकि आराजी आज तक बैंक में रहन है और बैंक द्वारा कोई नोड्यूज जारी नहीं किया गया है। तहत अदालत ने बिना कोई गहनता से जांच किए अपीलाधीन आज्ञा पारित की है जो निरस्तनीय है और काबिल गौर अदालत श्रीमान है। तहत अदालत ने अपीलाधीन आज्ञा खिलाफ तथ्य मौका कानून राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांतों एवं नैसर्गिक न्याय के नियमों व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुए पारित की है जो निरस्तनीय है और काबिल गौर अदालत श्रीमान है।

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर आज्ञा तहत अदालत तहसीलदार राजगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 08.05.2012 इंतकाल संख्या 628 ग्राम

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

गोरोडकंला तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान निरस्त फरमायी जावे और विवादित आराजी का रहन इंतकाल दर्ज वो तस्दीक किए जाने की आज्ञा पारित की जावे। खर्चा मुकदमा अपीलान्ट को रैस्पो० असल से दिलाया जावे व जो अन्य उचित आज्ञा न्याय संगत हो प्रदान की जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ० को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, सीधे ही बहस करना चाहता है।

पत्रावली मे उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया एवं दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया। अपील में अंकित तथ्य एवं बहस का मिलान किया गया। रिकॉर्डानुसार बैंक की दो प्रकार की रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। एक में नो ड्यूज देना व एक में नो ड्यूज नहीं देना अंकित है। बैंक द्वारा पूर्व में यह भी अवगत कराया है कि बैंक द्वारा कोई नो ड्यूज जारी नहीं किया है। नो ड्यूज के आधार पर जो नामान्तरकरण जारी किया गया है एवं बैंक द्वारा रिपोर्ट दी गई की बैंक द्वारा कोई नो ड्यूज जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार विपरीत तथ्य पत्रावली पर है। उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण एवं परिप्रेक्ष्य में नामांतरकरण संख्या 628 दिनांक 08.05.2012 जो नो ड्यूज के आधार पर जारी किया गया है निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार राजगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिपेषित की जाती है कि सम्पूर्ण प्रकरण पर बैंक एवं संबंधित पक्षकार को विधिवत सुनकर विस्तृत निर्णय पारित करें, तदनुसार रिकॉर्ड की अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी० आर० मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

न्या० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर